



Neutral Citation No. - 2026:AHC:20317

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - A संख्या – 1151/2026

नीरज कुमार श्रीवास्तव.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता:बीरेंद्र प्रताप सिंह, इंद्र कुमार सिंह

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता:मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय कक्ष संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री बीरेंद्र प्रताप सिंह और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री जितेंद्र प्रसाद को सुना गया।
2. विरोधी पक्षों के अधिवक्ताओं ने एक संयुक्त बयान दिया है कि वे कोई और हलफनामा दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं; अतः पक्षों की सहमति से, इस रिट याचिका का निस्तारण प्रारंभिक चरण में ही किया जा रहा है।
3. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसे मथुरा जिले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत 'कार्यालय लिपिक' के पद पर नियुक्त किया गया था, और तत्पश्चात उसका स्थानांतरण हमीरपुर कर दिया गया। रिट याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों के समक्ष एक अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें उसने मथुरा वापस स्थानांतरित किए जाने की मांग की थी; इसका आधार यह था कि याचिकाकर्ता की पत्नी 65% दिव्यांगता से ग्रस्त है। चूंकि इस मांग को स्वीकार नहीं किया गया, अतः याचिकाकर्ता ने रिट-A संख्या 15636/2025 दायर की थी। उस याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया गया था कि प्रतिवादी याचिकाकर्ता की मांग पर विचार करें; किंतु अब, दिनांक 02.01.2026 को, लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के 'निदेशक (प्रशासन)' द्वारा उस मांग को अस्वीकृत कर दिया गया है।
4. इसी अस्वीकृति को चुनौती देते हुए, रिट याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका दायर की है।
5. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि न केवल मथुरा में विभिन्न पद रिक्त पड़े हैं, बल्कि याचिकाकर्ता की पत्नी 65% दिव्यांग भी है; इसके अतिरिक्त, सरकारी आदेश/स्थानांतरण नीति के प्रावधानों के अनुसार भी, याचिकाकर्ता को वापस मथुरा भेजा जाना अपेक्षित है।
6. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने यह दलील दी कि स्थिति चाहे जो भी हो, रिट याचिकाकर्ता पिछले 23 वर्षों से मथुरा में ही कार्यरत है; और जहाँ तक रिट याचिकाकर्ता की पत्नी की दिव्यांगता से संबंधित मुद्दे का प्रश्न है, यह निश्चित रूप से एक विचारणीय कारक है, और इस पर समुचित विचार किया भी गया है।

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



7. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि अब स्थानांतरण का अगला सत्र आने वाला है, अतः रिट याचिकाकर्ता इस संबंध में संबंधित प्राधिकारी से पुनः संपर्क करेगा।
8. इस निवेदन पर, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है और उन्होंने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया है।
9. दोनों पक्षों के तर्कों पर विचार करते हुए—और मामले की विषय-वस्तु में अधिक गहराई से न जाते हुए—विवादास्पद आदेश में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप से इनकार किया जाता है। तथापि, रिट याचिकाकर्ता के लिए यह विकल्प खुला रखा जाता है कि वह आगामी स्थानांतरण सत्रों के दौरान, उचित माध्यम से मथुरा में स्थानांतरण हेतु संबंधित प्राधिकारियों से संपर्क कर सकता है।
10. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, इस रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

29 जनवरी, 2026

आशु

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”